पत्रांक 1447 आ०रा०क०उ०प्र० / अनु०कार्य०प्र०सं०आ० / 2022-23 / राज्य कर

कार्यालय – आयुक्त, राज्य कर

उत्तर प्रदेश।

दिनांक : लखनऊ / 23 / जनवरी / 2023

समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्गत पत्र संख्या-13/ 2022 / सैतालीस-का-1-2022-13 (2) / 2022 दिनांक 21-09-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिट याचिका संख्या-2555 / 2022 रिट-ए प्रकाश चन्द्र अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-05-2022 के क्रम में समस्त विभाग के समूह 'क', समूह 'ख' के समस्त अधिकारियों एवं समूह 'ग' से संबंधित ऐसे नामित अधिकारियों, जिन्हें जांच अधिकारी नामित किया जाता हो, को अनुशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित प्रशिक्षण दिलाने के संबंध में व्यापक योजना बनाकर जांच अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त के अनुपालन में विभागीय जांच के नियमानुसार निस्तारण विषय पर दिनांक- 28-11-2022 व 29-11-2022 को उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु वाणिज्य कर मुख्यालय, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जोनों के नामित एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील) द्वारा मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था। मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किये गये उक्त अधिकारियों से यह अपेक्षित था कि वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अपने जोनों में जाकर विभागीय जांच में नामित जांच अधिकारियों / अन्य अपेक्षित अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे।

उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अपने जोन में भविष्य में नामित हो सकने वाले अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित ऑफलाइन प्रशिक्षण साप्ताहिक रूप से प्रदान किया जायेगा। आगामी 01 माह के अंतर्गत संबंधित मास्टर ट्रेनर्स प्रत्येक सप्ताह अपने जोनों में तैनात समस्त पात्र अधिकारियों को Disciplinary Proceeding संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण से संबंधित शेड्यूल तथा नामित अधिकारियों की सूची निम्न फॉरमेट में प्रशिक्षण संस्थान **(cttrglu-up@gov.in)** की ईमेल आई०डी० पर प्रशिक्षण के आगामी 02 कार्यदिवसों के भीतर प्रेषित किया जाना है -

क्रम संख्या	इम्प्लाई आई०डी०	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	ईमेल आई०डी०	मोबाइल नंबर / वॉट्स एप नंबर
1	2	3	4	5	6

मास्टर ट्रेनर्स द्वारा फील्ड में कार्यरत जांच अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरांत प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रशिक्षण संस्थान को प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के सात कार्य दिवसों के भीतर जोनल एडिशनल कमिश्नर्स के माध्यम से प्राप्त कराया जायेगा। अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रशिक्षण संबंधी कार्य प्रत्येक दशा में एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। यह पत्र आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(ओमप्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।